न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 279/2023 (224/2021)

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. पुखराज पुत्र नेनाराम 2. पांचाराम पुत्र नेनाराम 3. बाबूलाल पुत्र नेनाराम जातियान–घांची, निवासी–समदडी, बालोतरा, जिला बालोतरा		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी, जिला बालोतरा

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 15.06.2018 जो उपखंड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा प्रकरण संख्या 661/2016 अनवान सरकार बनाम चैनभारती वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.सं.एक की ओर से।

निर्णय

दिनांक 20 मई, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 130, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रावली ढाणी के खेत ख0सं0 669 व ग्राम सुरपुरा के खेत ख0सं0 692/263, 262, 804/267, 805/267, 687/258, 686/258, 684/257, 683/257 की रकबा भूमि में से रास्ता चल रहा है परन्तु उसक राजस्व रेकर्ड व जमाबन्दी तथा नक्शे में रास्ता अंकन नहीं है अतः प्रार्थना पत्र में उल्लेखित खसरान की रास्ते की रकबा भूमि का राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करते हुए नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान करावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 15.06.2018 को अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उल्लेखित खसरान भूमि का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.07.2021 को पेश की है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत पेश प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है एवं उन्हें कोई सुनवाई का अवसर नोटिस नहीं दिया गया। दिनांक 20.03.2021 को ख0सं0 262 की जमाबन्दी की नकल अपीलान्ट ने चाही तब पटवारी हल्का ने कहा कि उसकी भूमि में से कुछ रकबा रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश हुआ है। तब अपीलान्ट ने दिनांक 24.03.2021 को उपखण्ड कार्यालय में जाकर पता करते हुए दिनांक 9.4.2021 को नकले प्राप्त की तत्पश्चात कोविड–19 की महामारी होने के कारण आ नहीं सका, तब लॉकडाउन में छूट मिलने पर यह अपील न्यायालय के समक्ष पेश की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जावे। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत विरोध प्रकट किया। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा म्याद प्रार्थना पत्र में प्रकट किये गये तथ्यों के आधार पर न्यायहित में अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करते हुए निवेदन किया कि उल्लेखित खसरान भूमि में एक खसरा अपीलान्टस की खातेदारी का है जिसके ख0सं0 262 है जिनको अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया है, अधिनस्थ न्यायालय ने उसके बावजूद भी अपीलान्ट की तामील मानते हुए आदेश पारित कर दिया ऐसा आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है। अपीलाधीन प्रकरण में धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज हाल भू प्रबन्ध कार्यवाही के पूर्व जिस तरह के थे उसी अनुरूप हाल बन्दोबस्त में इन्द्राज किये गये थे, ऐसे मे रेस्पो0 संख्या एक का प्रार्थना पत्र पोषणीय ही नहीं था। उक्त अपीलाधीन कार्यवाही एकतरफा व जल्दबाजी में की गई।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई तमाम कार्यवाही एवं अपीलाधीन आदेश हाई हैण्डेड एक्शन की तारीफ में आते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह जरूरी था कि पत्रावली कैम्प कोर्ट में ले जाने से पूर्व अपीलान्टस को नोटिस देते और सुनवाई के उपरान्त कोई आदेश पारित करते। धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत कृषि भूमि की किस्म बदली जा सकती है। उक्त वर्णित रकबा भूमि में से कोई रास्ता नहीं चल रहा है इसलिये राज्य सरकार के जिस परिपत्र का अपीलाधीन

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

आदेश में उल्लेख किया है उसके तहत ऐसे रास्ते का आदेश नही दिया जा सकता है और न ही किसी खातेदार द्वारा रास्ते की मांग की गई है। तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग से स्वीकार कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश मे अन्य व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया है जिनके विरूद्ध अपीलान्ट ने कोई अनुतोष नहीं चाहने से इस अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश को अपीलान्ट के ख0सं0 262 के संदर्भ में निरस्त किया जावे।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि तहसीलदार पचपदरा के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम रामसीन के उल्लेखित खेत खसरान में सार्वजनिक रास्ता चालू पाये जाने पर उक्त रास्ते का अंकन/तरमीम राजस्व रेकर्ड में किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो बहाल रखे जाने योग्य है।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा ग्राम रावली ढाणी के खेत ख0सं0 669 व ग्राम सुरपुरा के खेत ख0सं0 692/263, 262, 804/267, 805/267, 687/258, 686/258, 684/257, 683/257 की भूमि में चल रहे बारहमासी रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन करने बाबत प्रकरण प्रस्तुत करने पर वादग्रस्त भूमि/प्रभावित खातेदारान को सुनवाई व अपना पक्ष रखे जाने का अवसर नहीं दिया जाना प्रकट होता है जबकि प्राकृतिक एवं नैसर्गिक के सिद्धान्त के अनुसार प्रभावित पक्षकार को उनके विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व विधि अनुसार सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है। इस स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2018 को अपीलान्ट के खेत खसरान संख्या 262 की हद तक निरस्त करते हुए प्रकरण में पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.06.2018 को अपीलान्ट के खेत खसरान संख्या 262 की हद तक निरस्त करते हुए

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए एवं अपीलान्ट के उल्लेखित खसरान भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः यथोचित आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 20 मई, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर